म.प्र. जेल पूर्ति नियम 1968

विषय सूची :-

1. नियम 1
2. नियम 2
3. नियम 3
4. नियम 4
5. नियम 5
6. नियम 6
7. नियम 7
8. नियम 8
9. नियम 9
10. नियम 10
11. नियम 11
12. नियम 12
13. नियम 13
14. नियम 14

- निविदा सूचना
- करारनामा

म. प्र. जेल पूर्ति नियम, 1968[1]

नियम 1. (एक) ये नियम, मध्यप्रदेश जेल पूर्ति नियम, 1968 कहलायेंगे:

(दो) ये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे:

(तीन) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

नियम 2. इन नियमों में जब तक, प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"वस्तु"** से तात्पर्य है तथा उसमें शामिल है, जेलों के लिये आवश्यक खाद्यान्न, सब्जियां, दूध चारा तथा ईंधन आदि:

(ख) **"जेल"** से तात्पर्य, मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित केन्द्रीय जेल, जिला जेल तथा उप- जेल से है:

(ग) **"अधीक्षक"** से तात्पर्य, जेल-अधीक्षक से है तथा इसमें वस्तुत: अधीक्षक का कार्य करने वाला कोई भी अन्य अधिकारी शामिल होगा ।

अ-ठेके की प्रक्रिया

नियम 3. वार्षिक आधार पर या अधिक मात्रा में आवश्यक समस्त वस्तुएं, प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय पूर्तिकर्ताओं सें सील बन्द निविदायें (टेण्डर्स) आमंत्रित कर खरीदी जायेंगी ।

नियम 4. प्रत्येक जेल द्वारा, ठेके वार्षिक रूप से, अर्थात् एक वर्ष के लिये जिन्सों की कटाई के मौसम में जबकि वे प्रचुर मात्रा में और अच्छी किस्म में उचित मूल्य पर उपलब्ध हों, दिये जावेंगे । वस्तुओं की पूर्ति, संबंधित जेलों में संग्रह को विद्यमान व्यवस्था के अनुसार सुविधाजनक किस्त में प्राप्त की जावेगी । तहसील मुख्यालय में स्थित ऐसी उप -जेलों को छोड़, जहां कैदियों की संख्या बहुत कम हो, अन्य किसी भी स्थिति में एक सप्ताह से कम अवधि के लिये वस्तुओं की पूर्ति की अनुमति नहीं दी जायेगी, ऐसी स्थिति में दैनिक पूर्ति की अनुमति दी जा सकेगी-

(1) खाद्यान्नों, (2) सब्जियों, (3) दूध, (4) चारा, (5) ईंधन आदि के लिये अलग-अलग ठेके दिये जाने चाहिये ।

नियम 5. जेल अधीक्षक द्वारा कैदियों को पूर्ववर्ती दो वर्षो की औसत संख्या के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जायेगा और तत्पश्चात् निविदायें (टेण्डर्स) आमंत्रित की जायेगी ।

नियम 6. (एक) अधिक मात्रा में आवश्यक खाद्यान्नों आदि की पूर्ति के लिये नियमों से संलग्न विहित फार्म में तथा उसमें दी गई शर्तो पर सील बंद निविदायें (टेण्डर्स) आमंत्रित की जावेगी । [2]{ये भाव अगले वर्ष के जून माह की 30 तारीख तक वैध रहेंगे ।}

प्रत्येक निविदा (टेण्डर्स) के साथ निविदा की रकम के 2 प्रतिशत के बराबर बयाने की रकम भेजी जायेगी, जो कि ठेका दे दिये जाने के बाद उन निविदाकारों को तत्काल लौटा दी जावेगी, जिनकी निविदायें (टेण्डर्स) नामंजूर कर दी जाये [3]{प्रत्येक निविदाकार को विक्रयकर निष्कासन प्रमाणपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है} सफल निविदाकार के मामले में बयाने की रकम निविदा (टेण्डर) की शर्तो के कार्यान्वयन के लिये जमानत के रूप रख ली जायेगी । प्रतिभूति जमा का स्वरूप प्रत्येक निविदा-सूचना (टेन्डर्स-नोटिस) जारी करने की तारीख तथा सूक्ष्म - जांच के लिये निविदाओं (टेण्डर्स) को खोलने का

समय, तारीख तथा स्थान की सूचना, सूचना-पटल पर लगाई जायेगी । पूर्ति की जाने वाली समस्त वस्तुओं की सुपुर्दगी जेल द्वार पर ही की जायेगी तथा उनके तौलने और परिवहन आदि के लिये निविदा में उल्लिखित शुल्क से ऊपर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा, यह शुल्क निविदाकार को वहन करना होगा ।

(दो) निविदायें (टेण्डर्स) कार्यालय समय में केवल कार्यालय में ही ग्रहण की जायेंगी और वे किसी अधिकारी या कर्मचारी के निवास स्थान पर ग्रहण नहीं की जायेंगी ।

1. अधिसूचना क्र. 827-714 तीन, जेल, दिनांक 23 अप्रैल 1968 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. अधिसूचना क्र. 2446/4086-तीन, जेल, दिनांक 13 सितम्बर 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. अधिसूचना क्र. 215-तीन, जेल, दिनांक 25 मार्च 1970 अन्तःस्थापित । अधिसूचना म. प्र. राजपत्र भाग 4(ग) में दिनांक 17.4.1070 को पृष्ठ 173 पर प्रकाशित |

नियम 7. यथास्थिति, तहसीलदार या नगर पालिका परिषद् के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के जरिये स्थानीय रूप से डोंडी पिटवाकर निविदा सूचना का व्यापक प्रचार किया जावेगा ।

10,000 रूपये से अधिक की वार्षिक खरीद के लिये ठेकों के मामले में “मध्यप्रदेश राजपत्र" में तथा अधिक प्रसार वाले एक या दो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में संक्षिप्त सूचना निविदा प्रकाशित की जायेगी जिसमें खरीदी जाने वाली सामग्रियों की लगभग मात्रा तथा मदों का और निविदा फार्म प्राप्त करने के तरीके का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा । भाव (कोटेशन) मीटरिक प्रणाली में होगा तथा दरें सुनिश्चित होंगी ।

निविदा सूचना, विख्यात पूर्तिकर्ताओं के बीच घुमाई जायेगी और उनकी सूची प्रत्येक जेल में रखी जायेंगी ।

नियम 8. निविदायें (टेन्डर्स) जेल अधीक्षक द्वारा नियत समय तथा स्थान पर कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट और यदि आवश्यक हो तो जेल के अन्य पदाधिकारियों एवं उपस्थित निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी । प्रत्येक निविदा टेण्डर्स पर उसके खोले जाने के तत्काल बाद मजिस्ट्रेट तथा जेल अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे । निविदा में किये गये समस्त सुधारों तथा अन्तर्वेशनों पर भी इस प्रकार हस्ताक्षर किये जायेंगे । निविदा निविदाकारों के सामने पड़ी जायेगी और यदि वे चाहे तो उन्हें दिखाई भी जायेगी । जेल अधीक्षक खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की किस्म का चयन करेगा । नमूनों के अनुमोदन के पश्चात् अनुमोदित नमूने सील बंद शीशी में रखे जायेंगे ताकि अनुमोदित निविदाकार द्वारा पूर्ति किये गये माल का उससे मिलान किया जा सके । निविदायें खोले जाने की तारीख को यथास्थिति, तहसीलदार या मण्डी समिति या खाद्यान्न क्रय समिति से पिछले दिन के प्रचलित चालू बाजार मूल्य प्राप्त किये जायेंगे ।

नियम 9. जेल अधीक्षक द्वारा यथासंभव निम्नतम दर स्वीकार करने की सिफारिश की जायेगी, बशर्ते वस्तु का नमूना उचित औसतन किस्म का हो । यदि किसी कारणवश निविदाओं में से निम्नतम या अन्य निम्न दर स्वीकार करना संभव न हो तो उन्हें नामंजूर करने तथा उससे ऊंची दर को निविदा की सिफारिश करने के कारण अभिलिखित किये जायेंगे तथा वे खरीद संबंधी प्रस्तावों सहित जेल महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश को भेजे जायेंगें ।

नियम 10. जेल अधीक्षक ऐसी कार्यवाहियों को विस्तार पूर्वक आदेश -पुस्तिका में अभिलिखित करेगा और वस्तुओं की खरीद के लिये अपने प्रस्ताव जेल महानिरीक्षक को भेजेगा । इस प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज रहेंगे:-

(क) अधीक्षक के उस आदेश की प्रति जिसमें कार्यवाहियां अभिलिखित की गई हों ।

(ख) फार्म "आ" में तीन प्रतियों में करारनामा, जो निविदाकार द्वारा पूरा भरा गया हो, और जिस पर उसने सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किये हों और तारीख डाली हो ।

(ग) ठेके की सम्पूर्ण रकम के लिये शोध-क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में 10 प्रतिशत नगद प्रतिभूति की रकम जमा करने का प्रमाण ।

(घ) ठेके की सम्पूर्ण पूर्ति के लिये नियत किश्तों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिसमें वस्तु का नाम, सम्पूर्ण पूर्ति हेतु नियत किस्तों को संख्या, मात्रा और प्रत्येक किश्त की पूर्ति की तारीख का भी उल्लेख रहेगा । प्रस्तावित किश्तों से निविदाकार की सहमति के प्रतीक स्वरूप इस विवरण पर निविदाकार के तारीख युक्त हस्ताक्षर कराये जायेंगे ।

(ड.) संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिये मंजूरी प्रदान करने हेतु विशेष आवेदन-पत्र ।

(च) निविदा-सूचना की एक प्रति, वस्तुओं की सूची तथा निविदा फार्म की एक प्रति और मूल्य निविदा (टेण्डर) ।

(छ) समस्त निविदाकारों द्वारा सभी वस्तुओं के लिये प्रस्तावित दरों तथा तहसीलदार, मंडी समिति आदि से प्राप्त की गई दरों के ब्यौरे दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण ।

[1]{ज} निविदाओं के साथ निविदाकारों द्वारा दिये हुये विक्रयकर निष्कासन प्रमाण-पत्र ।

नियम 11. जेल महानिरीक्षक, [2]{जेल अधीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के अन्दर} निविदा को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा ।

नियम 12. जेल महानिरीक्षक के आदेश से परिवेदित निविदाकार, राज्य शासन को अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

नियम 13. यदि निविदाकार करारनामें की शर्तो के अनुसार पूर्ति न करे तो जेल अधीक्षक इस तथ्य की सूचना तत्काल जेल महानिरीक्षक को देगा तथा अनुबंधित समय के भीतर सम्पूर्ण पूर्ति करने हेतु निविदाकार को एक लिखित सूचना देगा, जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि ऐसी पूर्ति न करने पर वस्तु किसी और से खरीद ली जायेगी तथा इस लेन-देन में शासन को होने वाली किसी भी हानि की वसूली निविदाकार से भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी बयाने की रकम से की जायेगी ।

नियम 14. जेल अधीक्षक के आदेश से परिवेदित कोई भी निविदाकार जेल महानिरीक्षक को अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

निविदा सूचना

फार्म-अ

(नियम 6 देखिये)

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विहित फार्म में सील बंद निविदायें निम्नलिखित वस्तुओं के लिये आमंत्रित की जाती है । ये दिनांक .... 19.... को अपराह .... बजे तक .... के जेल द्वार पर पहुंच जानी चाहिये । [2]{निविदा में दर्शाए भाव 30 जून 2000 अथवा अगले वर्ष के ठेके स्वीकृत होने तक,जो भी प्रथम हो,वैध रहेंगे}

क्रमांक	वस्तु का नाम	मात्रा	किस्म	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ये वस्तुयें चालू वर्ष की फसल अथवा उपज की उचित औसत किस्म की होगी । जलाऊ लकड़ी की लम्बाई 5 फुट तथा गोलाई 6 इंच से अधिक नहीं होगी ।

सीलबंद निविदा नमूनों तथा ठेके की लागत के 2 प्रतिशत के हिसाब से बयाने की रकम सहित इस कार्यालय में दिनांक .... को .... बजे अथवा इससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए । निविदायें दिनांक .... को .... बजे जेल कार्यालय में निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी ।

1. अधिसूचना क्र. 215 तीन, जेल, दिनांक 25 मार्च 1970 द्वारा अन्तःस्थापित । अधिसूचना म. प्र. राजपत्र भाग 4(ग) में दिनांक 17.4.1970 को पृष्ठ 173 पर प्रकाशित ।
2. अधिसूचना क्र. 2446/4086-तीन, जेल, दिनांक 13 सितम्बर 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

प्रत्येक निविदाकार अपने साथ निविदा में उल्लिखित रकम के लिये शोधक्षमता प्रमाणपत्र लायेगा । सफल निविदाकार को जेल-महानिरीक्षक के आदेश होने तक निविदा की अस्थायी स्वीकृति पर तुरन्त शोधक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । सफल निविदाकार, शोधक्षमता -प्रमाणपत्र के स्थान पर निविदा की रकम के दस प्रतिशत तक नकद प्रतिभूति दे सकेगा, जिसमें निविदा के साथ जमा की गई बयाने की रकम भी शामिल होगी । नकद प्रतिभूति राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आदि के रूप में दी जा सकेगी ।

जिस निविदाकार की निविदा [1]{अस्थाई तौर पर जेल अधीक्षक द्वारा} स्वीकार कर ली गई हो, उसे जेल महानिरीक्षक के आदेश होने तक एक करारनामा [1]{फार्म अ में तत्काल} भरना होगा, जिसकी एक प्रति जेल कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती है ।

समस्त पूर्तियां, जेल द्वार पर समझौते के अनुसार किस्तों में की जायेंगी ।

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह कोई कारण बताये बिना किसी भी निविदा को

नामंजूर कर दें ।

जेल-महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से स्वीकार की गई किसी भी निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे नामंजूर करने का अधिकार है । निविदा के विहित फार्म की प्रति 0-25 रूपये का भुगतान करने पर जेल के अधीक्षक से प्राप्त की जा तकती है ।

जिला/केन्द्रीय जेल,
किशोर बन्दी संस्था, नरसिंहपुर

निविदा का फार्म

प्रेषक,
(निविदाकार का नाम तथा पता)
प्रति,

अधीक्षक,
.... जेल (उस जेल का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जानी हो)
महोदय,

.... (समाचार पत्र का नाम). दिनांक.................. में प्रकाशित आपकी जेल की निविदा-सूचना. दिनांक.................... के संदर्भ में मैं विहित फार्म में उपर्युक्त निविदा-सूचना में उल्लिखित निर्बधनों तथा शर्तो पर निम्नलिखित वस्तुओं के लिये अपनी निविदा/निविदायें नीचे प्रस्तुत करता हूँ.......................... रूपये की आवश्यक प्रतिभूति जमा रू...................... के रूप में संलग्न है ।

क्रमांक	वस्तु का नाम उल्लिखित मात्रा क्विंटल में	निविदा में विवरण	किस्म का करण के अनुसार नमूनों की संख्या	उसी वस्तु के श्रेणी	दर कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सलंग्न-नमूनों की संख्या
विक्रय कर निष्कासन प्रमाण-पत्र ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. अधिसूचना क्र. 2446/4086/तीन/जेल दिनांक 13 सितम्बर 1982 द्वारा अन्तःस्थापित ।

करारनामा

फार्म- आ

(नियम 10 ख) देखिये)

यह करारनामा आज दिनांक............. माह......................... सन् 199................. को प्रथम पक्ष श्री................................ पिता का नाम... निवासी................................ तहसील....... .... जिला...................................... (जिसे इसके बाद ठेकेदार कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति के प्रसंगानुसार उसके वारिस निष्पादक, प्रबंधक प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती शामिल होगे ।) तथा द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनका प्रतिनिधित्व जेल महानिरीक्षक मध्यप्रदेश भोपाल ने किया है (जिन्हें इसके बाद 'राज्यपाल ' कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में प्रसंगानुसार उनके पदानुवर्ती शामिल होगे) के बीच किया जाता है :

चूंकि ठेकेदार ने इसके बाद दिये गये निबन्धनों और शर्तो पर......................... से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष की अवधि [1]{एवं अगले वर्ष में नया ठेका स्वीकृत होने पर अथवा अगले वर्ष जून माह की तीस तारीख तक, जो भी पहले हो के लिये राज्यपाल को................... के जेल द्वार पर इसमें नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं (जिन्हें इसके बाद उक्त वस्तुयें कहा गया है) की पूर्ति का प्रस्ताव किया है ।

और चूंकि राज्यपाल उपर्युक्त निबंधनों तथा शर्तो तथा दरों पर ठेकेदार से उक्त वस्तुयें खरीदने के लिये सहमत हो गये है ।

अतएव अब यह करार इस बात का साक्षी है और इसके द्वारा निम्नानुसार करार किया जाता है : -

1. (क) ठेकेदार... से प्रारंभ होने वाले तथा........................ को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के दौरान [1]{एवं अगले वर्ष में नया ठेका स्वीकृत होने पर अथवा अगले वर्ष जून माह की तीस तारीख तक, जो भी पहले हो} इसमें नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित दर के हिसाब से मूल्य को छोड़ अन्य कोई शुल्क लगाए बिना.. पर प्रतिवर्ष/प्रतिमाह/प्रतिसप्ताह/प्रतिदिन ....से................. के बीच जेल अधीक्षक (जिसे इसके बाद सक्षम प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा जारी किए गए पूर्ति-आदेश में समय-समय पर उसे सूचित की गई मात्रा में पूर्ति करेगा ।

(ख) ठेकेदार उसे दिये गये पूर्ति -आदेश में उल्लिखित शीघ्र नष्ट न होने वाली समस्त वस्तुओं की एक सप्ताह की पूर्ति सदैव तैयार रखेगा ।

2. इसके अधीन पूर्ति की गई सभी वस्तुएं उचित औसत किस्म की होगी और स्वीकृत नमूनों से मेल खाएंगी तथा स्वास्थप्रद एवं साफ होंगी और वे मिट्टी. कूड़ा कंकड़ पत्थर या अन्य विजातीय वस्तुओं आर्द्रता कीड़े -मकोडों और धुन से मुक्त होंगी तथा उपभोग योग्य होंगी ।

3. सक्षम-प्राधिकारी इसके अन्तर्गत पूर्ति की गई उन वस्तुओं को नामंजूर कर सकेगा जो खण्ड 2 की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो । इस प्रकार नामंजूर किये जाने पर ठेकेदार नामंजूर की गई वस्तुओं को अपने खर्च तथा जोखिम पर हटाने के लिये बाध्य होगा और खण्ड 2 की अपेक्षाओं के अनुसार नामंजूर की गई मात्रा के बराबर मात्रा में नई पूर्ति तुरन्त करेगा । सक्षम -प्राधिकारी का यह निर्णय कि इसके अन्तर्गत पूर्ति की गई वस्तु खण्ड 2 की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, अंतिम तथा बंधनकारी होगा । नामंजूर की गई सभी मदें उनके नांमजूर किए जाने के तत्काल बाद ठेकेदार द्वारा हटा ली जायेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई लिखित सूचना में इस प्रयोजन के लिये नियत समय के भीतर उनके न हटाए

जाने पर सक्षम-प्राधिकारी उन्हें नीलाम द्वारा अथवा अन्यथा रूप से बेच देगा बिक्री-आगम की रकम, उस पर व्यय यदि कोई हो. की कटौती करने के बाद ठेकेदार को दे दी जाएगी ।

1. अधिसूचना क्र. 2446/4086/तीन/जेल दिनांक 13 सितम्बर 1982 द्वारा अन्त: स्थापित ।

4. खण्ड 1 (क) में उल्लिखित समय के भीतर ठेकेदार द्वारा [1]{माल} की सम्पूर्ण पूर्ति न किए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को, ठेकेदार की जोखिम तथा लागत पर कहीं से भी माल खरीद कर कमी को पूरा करने की स्वतंत्रता होगी । ऐसी खरीद के संबंध में उस मूल्य से जो कि ठेकेदार द्वारा माल की पूर्ति किये जाने पर उसे अनुबंधित दर पर दिया जाता, अधिक हुये समस्त व्यय, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, ठेकेदार को देय किसी भी रकम से काटे जा सकेंगे या उनकी वसूली उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी प्रतिभूति जमा से की जा सकेगी ।

5. खण्ड 4 के अधीन जप्ती के परिणामस्वरूप प्रतिभूति जमा की रकम में कमी हो जाने की स्थिति में, ठेकेदार ऐसी कमी को पूरा करने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन के भीतर इस कमी को पूरा करेगा और ऐसा न किए जाने पर जेल महानिरीक्षक इस करार को समाप्त कर सकेगा ।

6. ठेकेदार, सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना ठेके या उसके किसी भाग को कार्य टास्क) या उजरती कार्य के रूप में या उसके अधीन किए जाने वाले भुगतान संबंधी किसी अधिकारी को न अभिहस्ताकित करेगा, न तो उपभाड़े पर देगा और न ही अन्तरित करेगा और न ही उसके निष्पादन में अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अपना सहयोगी बनाएगा ।

[2]{प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ विक्रय कर निष्कासन प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।}

7. पूर्ति की किस्म आदि के संबंध-प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा । इस करार के अधीन अन्यथा उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में जेल महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश का निर्णय अंतिम तथा पक्षों पर बंधनकारी होगा ।

8. ठेकेदार किसी भी प्रकार की किन्ही भी परस्थितियों में जेल या जेल विभाग के किन्हीं भी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के साथ निजी तौर के कोई आर्थिक लेनदेन नहीं करेगा या उनके जरिए कोई फीस अथवा उपहार नहीं देगा या देने का वचन नहीं देगा ।

अनुसूची

मद	किस्म (नमूने का विवरण)	मात्रा	दर	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षरों के सामने उल्लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किये हैं ।

साक्षी

1. ठेकेदार

....

2. दिनांक

....

3. जेल महानिरीक्षक

दिनांक..........

1. अधिसूचना क्र. 2446/4086/तीन/जेल दिनांक 13 सितम्बर 1982 द्वारा शब्द "अनाज" के स्थान पर शब्द 'माल" प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना क्र. 215-तीन-जेल दि. 25.3.1970. द्वारा अन्तःस्थापित । अधिसूचना म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग) में दि. 17.4.1970 को प्रकाशित ।